भारत का संवैधानिक विकास

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के अन्तर्गत भारत (1773-1853)	ब्रिटिश क्राउन के अन्तर्गत भारत (1858-1947)
❖ रैग्यूलेटिंग एक्ट 1773 ❖ पिट्स इंडिया एक्ट - 1784 ❖ चार्टर एक्ट-1793 ❖ चार्टर एक्ट-1813 ❖ चार्टर एक्ट-1833	▽ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट - 1858 ▽ इंडियन काउंसिल एक्ट-1861 ▽ इंडियन काउंसिल एक्ट-1892 ▽ भारत परिषद अधिनियम-1909 ▽ भारत सरकार अधिनियम-1919 ▽ भारत सरकार अधिनियम-1935 ▽ अगस्त प्रस्ताव - 1940

E.I.C
⇓
शासन
⇓
1773-1853

⇒ Act/अधि॰ ⇒ पारित (Pass) → ब्रिटिश संसद
British Parliament

	▽ चार्टर एक्ट-1853 ▽ क्रिप्स प्रस्ताव - 1942 ▽ कैबिनेट मिशन - 1946 ▽ माऊंटबेटन योजना-1947

1600 ई. का राजलेख (चार्टर)

भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के साथ प्रारम्भ होता है।

Charter of 1600 A.D.

The constitutional development of India begins with the establishment of the East India Company.

→ स्थापना → प्रारम्भ ⇒ 1691
→ स्थापित ⇒ 1600 ई० / AD

- महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसम्बर 1600 ई. को 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' की स्थापना कर उसे पूर्व देशों में 15वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया Queen Elizabeth I established the 'East India Company' on 31 December 1600 and gave it the right to trade in the eastern countries for 15 years.

- स्थापना के समय कम्पनी की कुल पूँजी 30133 पौण्ड थी तथा इसमें कुल 217 भागीदार थे । At the time of establishment, the total capital of the company was 30133 pounds and it had a total of 217 partners.

1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट

- ब्रिटिश प्रधानमंत्री 'लार्ड नार्थ' द्वारा गठित 'गुप्त समिति' (Secret Committee) की सिफारिश पर पारितएक्ट The Act was passed on the recommendation of the 'Secret Committee' constituted by the British Prime Minister 'Lord North'

- इसका मुख्य उद्देश्य कम्पनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना Its main purpose was to control the company's affairs in both India and Britain.
- कम्पनी के सम्पूर्ण प्रशासन में दो संस्थाएँ थी There were two institutions in the entire administration of the company

1. निदेशक मण्डल (Court of Directores),
2. स्वत्वधारी मंडल (Court of Proprietors)

- निदेशक मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर) की कार्यावधि एक वर्ष के स्थान पर चार वर्ष का कर दिया गया। The tenure of the Board of Directors was increased to four years instead of one year.

- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कुल सदस्य संख्या (24) के एक-चौथाई (1/4) सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेगें । One-fourth (1/4th) of the total number of members (24) of the Court of Directors shall retire every year.

- बंगाल (कलकत्ता) मुम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र थीं, इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसीडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसीडेसिंयों का गवर्नर जनरल बना दिया गया । Bengal (Calcutta), Mumbai and Madras Presidencies, which were independent of each other, were brought under the Bengal Presidency by this Act and the Governor of Bengal was made the Governor General of all the three Presidencies.

⇒ 1773 के अधि० के द्वारा कलकत्ता के गवर्नर जनरल को G.G. of बंगाल बना दिया गया।

⇒ बंगाल का प्रथम G.G. ⇒ वारेन हेस्टिंग्स

- शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उसके चार सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया Powers were handed over to the Governor General and his four-member council

- "वारेन हेस्टिंग्स' को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। "Warren Hastings" was appointed the first Governor General.

▽ कार्यकारिणी परिषद के अन्य चार सदस्य थे- फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं बरवैल । The other four members of the Executive Council were Philip Francis, Clavering, Manson and Barwell.

↳ गवर्नर जनरल (बंगाल)

▽ 1774 ई. में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। A Supreme Court was established in Calcutta in 1774 AD.

↳ भारत का प्रथम S. Court

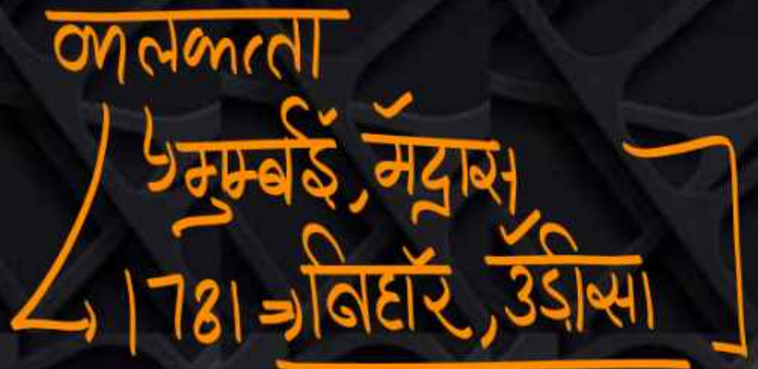
↳ 1773 के अधिनियम द्वारा ✓

- एलिजाह इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य, चेम्बर्ज, लिमैस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया । Sir Elijah Impey was made Chief Justice and three others, Chambers, Limaster and Hyde were made judges.
- कम्पनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किये निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। Company employees were prohibited from carrying on private business without a license and from accepting gifts and bribes from Indians.

ऐक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781

- प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव के आधार पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया। This Act was provided on the basis of the suggestion of Edmund Burke, Chairman of the Select Committee.

- कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। The Government at Calcutta was also given the authority to make laws for Bengal, Bihar and Orissa.



- गवर्नर-जनरल - इन- कौंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की दी अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया The Governor-General-in-Council was relieved of the jurisdiction of the Supreme Court



पिट्स इण्डिया ऐक्ट, 1784

(Pitt's India Act of 1784)

- इस एक्ट के माध्यम से कम्पनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रिया-कलापों को अलग-अलग कर दिया गया।
- व्यापारिक क्रिया- कलापों को कम्पनी के निदेशकों के हाथों में

Through this act, the commercial and political activities of the company were separated.

Commercial activities were placed in the hands of the directors of the compan

राजनैतिक क्रिया-कलापों - इंग्लैण्ड में एक 6 सदस्यीय 'नियंत्रक - मण्डल' (Board of Control) की स्थापना की गई। Political activities – A six-member 'Board of Control' was established in England.

राजनैतिक क्रियाकलाप
↓
Board of Control

व्यापारिक क्रियाकलाप
↳ Board of Directors

▽ गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या चार से कम करके तीन कर दी गई।

▽ गवर्नर जनरल को प्रान्तीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया।

The number of members of the Governor General's Council was reduced from four to three.

The Governor General was given the power to dismiss provincial governments by this Act.

1813 का राजलेख (Charter Act of 1813)

- ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गयी Christian missionaries were allowed to preach in India

अनुमति

- कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया, किन्तु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाये रखा गया The company's trade monopoly was abolished and all British citizens were given the right to trade, but the monopoly of trade with China and the tea trade was maintained.



- भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबन्ध किया गया। A provision was made to spend Rs 1 lakh per year on the education of Indians



1833 का राजलेख (Charter Act of 1833)

- बंगाल के गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। The Governor General of Bengal was made the Governor General of entire India.

- गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया The Governor General was given the right to make laws for the whole of India

→ भारत का पहला G.G. ⇒ विलियम बेंटिंक

▽ विधिक परामर्श हेतु गर्वनर जनरल की परिषद में 'विधि सदस्य' के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया A fourth member was added as 'Law Member' in the Governor General's Council for legal advice

(4) -> Law Member
↳ Gr. Gr. + Council (परिषद) बैठक -> भाग ✓
मतदान ✗

▽ उसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। He had the right only to attend the council meetings, not to vote.

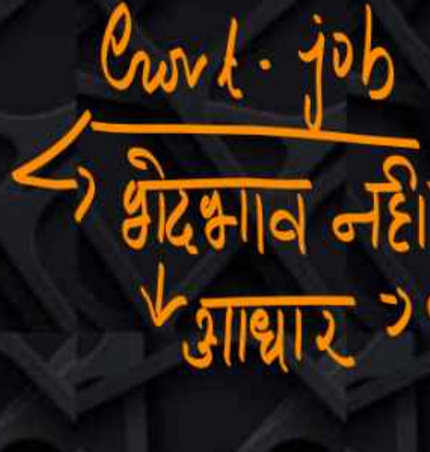
- कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को (चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित) पूर्णतः समाप्त कर दिया गया The company's trade monopoly (including tea and trade with China) was completely abolished

- 1834 में ~~लार्ड~~ मैकाले की अध्यक्षता में चार सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। In 1834, the first four-member Law Commission was formed under the chairmanship of ~~Lord~~ Macaulay.

कम्पनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराये जानें का उपबन्ध किया गया।

Provision was made that no person would be disqualified on the grounds of religion, place of birth, race or colour for selection to government posts under the Company.





(1853 का राजलेख)

इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गयी । विधि निर्माण हेतु, भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय " विधान परिषद" (All India Legislative Council) की स्थापना की गयी ।

(Gazette of 1853)

This Act provided for the separation of legislative functions from administrative functions. For law making, a separate 12 member "Legislative Council" (All India Legislative Council) was established for India

- विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। The Law Member was made a full member of the Governor General's Council.

- कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया The recruitment of the company's employees was made based on competitive examinations instead of nominations

निदेशक - मण्डल के सदस्यों की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गयी ।

The number of members of the Board of Directors was reduced from 24 to 18.

भारत सरकार अधिनियम 1858

- इस कानून के द्वारा भारत का शासन कम्पनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। By this law, the rule of India was taken away from the company and it was placed under the British crown.

- यह कार्य (महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा द्वारा किया गया, जिसे भारत के प्रथम वायसराय लार्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवम्बर, 1858 को उद्घोषित किया। This work was done by a royal proclamation of Queen Victoria, which was announced by the first Viceroy of India, Lord Canning, in Allahabad on 1 November 1858.

- 'निदेशक मण्डल' (Court of Directors) और 'नियंत्रक मण्डल' (Board of Control) को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत- राज्य सचिव (Secretary of State for India) को दे दिये गये The 'Court of Directors' and the 'Board of Control' were abolished and all their powers were given to the Secretary of State for India.

- भारत- सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा- भारत - परिषद् (India Council) - की स्थापना की गयी । To assist the Secretary of India, a 15-member assembly - India Council - was established.

▽ गवर्नर-जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और इस कारण उसे वायसराय (Viceroy) भी कहा गया।

The Governor-General started working as the representative of the British Emperor in India and for this reason he was also called Viceroy.

भारतीय परिषद अधिनियम 1861
(The Indian Council Act, 1861)

- सर्वप्रथम ' भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया *For the first time an attempt was made to make Indians partners in governance*

- गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नये प्रान्त के निर्माण का तथा नव निर्मित प्रान्त में गवर्नर या लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया । The Governor General was given the power to create new provinces for legislative work and to appoint a Governor or Lieutenant Governor in the newly created province.

- केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। पांचवें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया।

  The number of members of the Central Executive was increased from 4 to 5. It was made mandatory for the fifth member to be a jurist.

- भारत परिषद' को विधायी संस्था बनाया गया The Indian Council was made the legislative body

- गवर्नर-जनरल को अपनी परिषद् (Council) में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया जो सभी मनोनीत थे ।
- आधे सदस्यों का गैर-सरकारी होना आवश्यक था

- The Governor-General was given the power to increase his Council from 6 to 12 members, all of whom were nominated.
- Half the members were required to be non-official

- वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में 'विभागीय प्रणाली' (Portfolio System) की शुरूआत की Viceroy Lord Canning introduced the 'Portfolio System' in India

भारत में 'मंत्रिमंडलीय व्यवस्था' की नींव पड़ी।

- The foundation of the 'Cabinet System' was laid in India.

- गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश (Ordinance) जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया The Governor General was given the power to issue ordinances in times of emergency without the permission of the Legislative Council.

- भारतीय परिषद अधिनियम 1892
- (The Indian Council Act : 1892)
- निर्वाचन पद्धति का आरम्भ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। The introduction of the electoral system is an important feature of this Act.

- भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछनें का अधिकार दिया गया
- किन्तु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछनें का अधिकार नहीं था।

Indian members were given the right to debate on the budget and to ask questions to the executive on a six-day notice, but not to vote or to ask supplementary questions.

भारत परिषद् अधिनियम, 1909 ई.

(The Indian Council Act : 1909 ई.)

- मार्ले-मिन्टो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है।
- Also called Morley-Minto Reforms Act.

- केन्द्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी। The number of additional members in the Central Legislative Council was increased from 16 to 60.

- मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर 'फूट डालो और राज करो की नीति अपनायी गयी I The policy of divide and rule was adopted by providing separate voting rights and separate electorate for the Muslims.

- सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। For the first time, Indian members were included in the India Council and the Viceroy's Executive Council.

- दो भारतीय के. सी. गुप्ता तथा सैयद हुसैन विलग्रामी को इंग्लैण्ड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। Two Indians, K.C. Gupta and Syed Husain Wilgrami were appointed to the India Council in England.

- एस०पी० सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया
- वायसराय की कार्यकारणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय थे

S.P. Sinha was included as a legal member in the Viceroy's Executive

He was the first Indian to be included in the Viceroy's Executive

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)

- सर्वप्रथम 'उत्तरदायी शासन' शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था For the first time the term 'responsible government' was used clearly.

- भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 निश्चित की गयी । The number of members of the Indian Council was fixed at a minimum of 8 and a maximum of 12.

- इस अधिनियम द्वारा पहली बार (प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनायी गयी For the first time, the direct election system was adopted by this Act

- साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिक्खों, ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया । Expanding the electoral system on communal basis, it was also applied to Sikhs, Christians, Anglo-Indians and Europeans.

- केन्द्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गयी । A bicameral legislature was established at the centre.

- 'राज्य परिषद' (उच्च सदन) तथा 'विधान सभा' (निम्न सदन)
  'State Council' (Upper House) and 'Legislative Assembly' (Lower House)

- प्रान्तों में द्वैध- शासन (Dyarchy) की स्थापना थी। Dyarchy was established in the provinces.

- सुरक्षित विषय (Reserved Subjects), (जैसे- राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि)

- हस्तान्तरित विषय Transferred Subjects), (जैसे—- स्थानीय स्वशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि ।

- द्वैध शासन के जन्म दाता लियोनिल कार्टिस थे। इन्होंने अपनी पुस्तक 'डायर्की' में द्वैध शासन का वर्णन किया था। The founder of dual governance was Leonil Cartis. He described dual governance in his book 'Dyarchy'.

- केन्द्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया
- प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में 'सम्पत्ति एवं कर' को आधार बनाया गया ।
- The central budget was separated from the state budget. For the first time, a limited number of 'property and tax' were made the basis for direct election.

भारत सरकार अधिनियम 1935

- इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ व 14 भाग थे।
- वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है।

It had a total of 321 articles, 10 schedules and 14 parts.
This Act has had the greatest impact on the current Indian Constitution.

अखिल भारतीय संघ की स्थापना

- केन्द्र में द्वैध शासन Dyarchy at the centre
- संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना
- संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित था। The Federal Court was located in Delhi.

- 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हो गया ।This court became functional from 1 October 1937.

- इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मौरिस ग्वेयर थे। अन्य न्यायाधीशों में दो भारतीय थे । Its first Chief Justice was Sir Maurice Gwyer. Among the other judges, two were Indians.

- प्रथम जस्टिस एम० आर० जैकेब एवं दूसरा जस्टिस एम० एस० सुल्तान First Justice M.R. Jacob and second Justice M.S. Sultan

शक्तियों का विभाजन

- (संघ सूची (59 - विषय)
- प्रान्तीय सूची (54 विषय) तथा
- समवर्ती सूची (36 विषय)

(Union List (59 subjects)
Provincial List (54 subjects) and
Concurrent List (36 subjects)

- अवशिष्ट विषयों सहित कुछ आपातकालीन अधिकार वायसराय को सौंपा गया था। Some emergency powers including residuary subjects were assigned to the Viceroy.
-
- प्रान्तों में विधान सभा का गठन किया गया। Legislative assemblies were formed in the provinces.

- 1937 का विधान सभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ। The Legislative Assembly elections of 1937 were held as a result of the implementation of this Act.

- इस अधिनियम द्वारा 1935 ई. में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तथा दो नए प्रान्त उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण हुआ By this Act, Burma was separated from India in 1935 AD. And two new provinces Orissa and Sindh were created.

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम-1947

- 4 जुलाई, 1947 को On July 4, 1947

- ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमंस' में पेश किया गया । Introduced in the House of Commons by British Prime Minister Clement Attlee.

- 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई। State approval was received on 18 July 1947.

- 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की जायेगी । On August 15, 1947, two dominion states, Pakistan and India, would be established.

- भारत में माउण्टबेटेन को गवर्नर जनरल तथा पं. जवाहर लाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया; जबकि पाकिस्तान में मु. अली जिन्ना को गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। In India, Mountbatten was made Governor General and Pt. Jawahar Lal Nehru was made Prime Minister; while in Pakistan, Muhammad Ali Jinnah was made Governor General and Liaquat Ali was made Prime Minister.

- देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट होगी। The princely states would be free to join either the dominion of India or Pakistan.

- दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग (पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग) गठित किया गया जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे । To determine the boundaries of the two dominions, two border commissions (Punjab Boundary Commission and Bengal Boundary Commission) were formed, headed by Sir Radcliffe.

- पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त (NWFP) और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भाग को भारत में सम्मिलित होना था । East Bengal, West Punjab, Sindh, North West Frontier Province (NWFP) and Sylhet district of Assam were to join Pakistan and the rest were to join India.

- 14 व 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा भारत नामक दो डोमिनियन राज्यों का गठन किया गया । On 14 and 15 August 1947, two dominion states named Pakistan and India were formed.